Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:4.081
Volume-12, Issue-4, March-2019 www.researchguru.net

मादक प्रयोग (दुर्व्यसन) के दुष्परिणाम के बारे में महात्मा गॉधी के विचार

आरसी प्रसाद झा
अनुसंधान सहयोगी (मनोविज्ञान), भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, प्रतापनगर, उदयपुर–313001 (राज.)

सारांश (Abstract)

वर्तमान शोध का उद्देश्य है कि नशा प्रयोग के संबंध में महात्मा गॉधी के विचार को जाना जाए। महात्मा गॉधी एवं अन्य विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तक 'आरोग्य की कुंजी: गांधीजी', 'महात्मा गॉधी : 125 इयर्स', 'द स्टोरी ऑफ लाइफ–महात्मा गॉधी', 'द माइंड ऑफ महात्मा गॉधी', 'महात्मा गॉधी :हिज लाइज एंड टाइम्स', 'हरिजन', 'सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ महात्मा गांधी' और 'विलेज स्वराज–महात्मा गॉधी' में लोगों को नशा नहीं करने, कृषकों को तंबाकू, अफीम व गॉजा का उत्पादन नहीं करने व व्यवसायियों को नशा का व्यापार नहीं करने के बारे में बताया गया है। महात्मा गॉधी का कहना है कि चाय से पाचन शक्ति का ह्रास व अपच की शिकायत रहती है। उनके अनुसार, लोग शराब के सेवन से अपना होश खो बैठते हैं, निकम्मा बन जाते हैं, अपनी मर्यादायें तोड़ देते हैं व स्वयं के साथ–साथ अपना परिवार का भी नुकसान करते हैं। शराब व्यक्ति के मन, बुद्धि, शरीर और पैसे को बेबाद करता है। उनके अनुसार, तारी पीने से लोग गरीब हो जाते हैं। अफीम को उन्होंने जहर बताया है। व्यक्ति द्वारा अफीम के उपयोग करने से कोई भी पाप कर सकता है। महात्मा गॉधी के अनुसार, जर्दा, पान व तंबाकू सभी नशा ही हैं। उन्होंने बताया है कि तंबाकू के प्रयोग करने वाले की विवेक शक्ति खत्म हो जाती है व ऐसे लोग बिना किसी संकोच के कहीं भी धुंआ छोड़ सकते हैं, पी सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खाकर थूक सकते हैं, आदि। ऐसे लोगों के मुख से दुर्गंध निकलते हैं। निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि महात्मा गॉधी के कथन व लेखन लोगों के जीवन में व्यवहार में लाकर दिखाने पर जोर देता है व ये कथन आज भी सत्य साबित होते हैं। नशे के प्रयोग रोजगार व आय के स्रोत को छीनता है। यह अंतरवैयक्तिक संबंध ह्रास एवं व्यक्तिगत दूरी एवं अपराध दर बढाने में भी सहायक है। उन्होंने बताया है कि नशे से स्वयं का, परिवार का, समाज का व राष्ट्र का नुकसान होता है। नशा व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य ह्रास, आर्थिक नुकसान, साफ–सफाई (स्वच्छता) व संपूर्ण राष्ट्र के विकास में बाधक है।

मुख्य शब्द : अफीम, दुर्व्यसन, नशा, महात्मा गॉधी, मादक

महात्मा गांधी ने अपने समय में कई पुस्तकों, आलेखों व पारस्परिक बातचीत (संपर्क) के माध्यम से किसी भी प्रकार के मादक (दुव्यर्वसन, नशा छोड़ने, आदि) को किसी भी स्तर व किसी भी प्रकार की मात्रा में लेने से इंकार किया है। आरोग्य की कुंजी : गांधीजी', 'महात्मा गॉधी : 125 इयर्स', 'द स्टोरी ऑफ लाइफ–महात्मा गॉधी', 'द माइंड ऑफ महात्मा गॉधी', 'महात्मा गॉधी : हिज लाइज एंड टाइम्स', 'हरिजन', और 'विलेज स्वराज–महात्मा गॉधी' में कुछ स्थानों पर नशा व मादक प्रयोग (दुर्व्यसन) का उल्लेख है। इसी प्रकार, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी कई लोगों को नशा छोड़ने के बारे में बताया। साथ ही, महात्मा गांधी के जीवनकाल में कई पत्र प्राप्त होते थे, जिसमें उन्होंने इसका उत्तर भी दिया व इसके दिए गए उत्तर नशा के प्रतिकुल थे। नारायण (1968) की पुस्तक 'सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ महात्मा गांधी' में महात्मा गांधी को प्राप्त पत्र व उनके द्वारा स्वहस्तलिखित प्रश्नोत्तर के संग्रहण की चर्चा है। इन पत्रों में भी स्पष्ट उल्लेख था कि महात्मा गांधी ने लोगों को समस्या समाधान के रूप में व राष्ट्र की खुशहाली के लिए नशा छोड़ने के लिए निवेदन करते थे। महात्मा गांधी के समूह में जुड़ने के लिए मादक पदार्थों के प्रयोग की मनाही थी। महात्मा गांधी अपनी मृत्यु (अर्थात् 30 जनवरी 1948) तक देश को आजादी दिलाने के अलावा लेखन, व्यक्तिगत–सामूहिक संपर्क व पत्रोत्तर से जुड़े रहे। उनके मृत्योपरांत उनके मूल स्वहस्तलिखित लेखन का मुद्रण व प्रकाशन कई प्रकाशकों व मुद्रणालय द्वारा कराया गया, जिसमें कुछ प्रकाशन स्वयं महात्मा गांधी के नाम थे जबकि कुछ प्रकाशन अन्य लेखकों के अपने नाम। इसके अलावा, महात्मा गांधी के लिखित आलेख, पत्र व पुस्तकों का अनुवाद भी अन्य कई भाषाओं में हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल में मादक पदार्थों को राष्ट्रीय विकास में बाधक ही नहीं बताया बल्कि इससे निकलने के समाधान के मार्ग भी बताए। अभी उनके मृत्यु के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर यह आलेख महात्मा गांधी के विचार के आधार पर नशा व दुर्व्यसन को समझने व जानने का प्रयास है। अतः इस अध्ययन के माध्यम से मादक प्रयोग (दुर्व्यसन) के दुष्परिणाम के बारे में महात्मा गॉधी के विचार को जानना है।

1942 ई. के आसपास में महात्मा गांधी द्वारा मादकता के संबंध मे लिखे गए विचार आज की वृत्तांत में देखने को मिलती है। महात्मा गांधी के अनुसार, शक्ति (सत्ता) का सुख पुरूषों को अंधा और बहरा बना देता है, ऐसी सुख में लोग यह नहीं देख पाते कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है ? उनका कहना था कि व्यक्ति को इस समय सत्ता सुख मिलने से एक प्रकार की नशा आ जाता

है। महात्मा गांधी ने सत्ता की लालसा को नशा बताया (प्रभु एवं राव, 1966)। यह नशा किसी अपराध से कम नहीं है व इस सत्ते के नशे में व्यक्ति जाने–अनजाने अपराध कर सकता है।

महात्मा गॉधी ने बताने का प्रयास किया है कि चाय, कॉफी व कोको को किसी भी परिस्थिति में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार, इसकी शुरूआत चीन में हुई है। चीन के लोग चाय को इसीलिए उपयोग में लिए क्योंकि वहॉ का पानी शुद्ध नहीं है और पानी तभी शुद्ध हो सकता है जब पानी को उबाला जाए। महात्मा गांधी के अनुसार, कोई चतुर चीनी व्यक्ति ने उबाले हुए पानी में चाय का घास दे दिया और इससे इसका रंग सुनहरा हो गया (नैयर, 1948)। इसमें एक प्रकार का खुशबू आ जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार, चाय की यह खुशबू व रंग ने लोगों को व्यसनी बनाया।

गांधी (1955) ने चाय को हानिकारक बताया है। महात्मा गॉधी ने यह भी बताया है कि चाय भारतीयों के लिए नहीं है। इसके नियमित प्रयोग से नहीं मिलने पर लोग व्याकुल हो जाते हैं। चाय में टेनिम होता है जो कि चमड़े को पकाने के काम में आता है। चाय व्यक्ति के आमाशय को नुकसान करता है, पाचन शक्ति का ह्रास (हानि व नुकसान) करता है व इसके प्रयोग से अपच की शिकायत रहती है, आदि इसके सेवन से अनेक प्रकार की समस्यायें जन्म लेती है। एक बार इरविन ने सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी को चाय पीने दिया। उसके उपरांत गांधी जी ने अपनी झोली में से कागज की थैली में से कुछ खाद्य पदार्थ निकालकर व उसमें नमक मिलाकर प्रयोग किया (श्रीमन नारायण, 1968)। संभवतः इस समय तक महात्मा गांधी चाय पीते थे। एक बार, महात्मा गांधी किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के साथ चाय पीने बकिंघम पैलेग गए थे (नारायण, 1968)। महात्मा गांधी की पत्नी भी चाय व कॉफी पीती थीं (नारायण, 1968)। इससे हो रहे नुकसान को लेकर उन्होंने इस बात की पुष्टि से पहले एक प्रयोग किया व उल्लेख किया कि इंग्लैंड में असंख्य औरतें चाय के व्यसनी होने से उनमें कई बीमारियॉ आ गए थे। महात्मा गॉधी ने भी इसके लिए स्वयं पर प्रयोग किया। जब वे चाय पीते थे (गांधी, 1955), तो उनमें कई बीमारी थी। उनके चाय छोड़ते ही बीमारी अपने आप ठीक हो गई (नैयर, 1948)। सामान्य सर्दी और गले में खराश के मामले में, एक भाप केतली जो एक सामान्य चाय की केतली की तरह होती है, जिसका उपयोग नाक या गले में भाप लगाने के लिए किया जा सकता है (गांधी, 1962)। महात्मा गांधी का कहना था कि कुछ लोग कुछ बीमारियों के उपचार में चाय का प्रयोग करते हैं लेकिन चाय से बीमारी ठीक नहीं होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि महात्मा गांधी कुछ भी लिखने से पहले उसे प्रयोग कर लिखते थे।

महात्मा गांधी के अनुसार, उबले पानी में दूध देकर या केवल दूध को उबाल कर उसमें शहद देकर चाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या नहीं तो उबलते पानी में एक चम्मच शहद व आधा चम्मच नींबू के रस मिलाकर गुलगुले कर पीया जा सकता है (नैयर, 1948)। महात्मा गांधी का कहना था कि चाय नहीं लेना चाहिए (गांधी, 1955) व इसके स्थान पर स्वदेशी सामान, नीरा, आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी के अनुसार, शराब के नियमित सेवन से लत लग जाता है (नैयर, 1948)। इसके सेवन करने वाले व्यक्ति अपना होश खो बैठते हैं, निकम्मा हो जाते हैं, अपनी मर्यादायें तोड़ देते हैं, स्वयं बेरबाद हो जाते हैं व अपना परिवार भी बेर्बाद कर देते हैं। नशे की अवस्था में होने से व्यक्ति इस समय होश में नहीं रहते व ये अनजाने में कुछ भी (अपराध कार्य सहित) कर सकते हैं। जबकि जब ये होश में हों तो पाप व अपराध करने की संभावना इनमें कम रहती है। उन्होंने कुछ लोगों से सुना कि शराब के कम सेवन से लोग मर्यादा में रहते हैं। लेकिन, उन्होंने गहन चिंतन के बाद निर्णय कर बताया कि कुछ मात्रा में लेने वाले व्यक्ति को भी इसका त्याग करना चाहिए।

महात्मा गांधी ने कुछ लोगों (विशेशकर कुछ पारसियों से) से सुना कि ताड़ी को कुछ निश्चित खुराक के रूप में लिया जाए तो हाजमा में यह अच्छा कार्य करता है। लेकिन, बाद में महात्मा गांधी ने सोचा और कई पुस्तक भी पढा। इसके उपरांत महात्मा गांधी ने बताया कि तारी के प्रयोग से लोग गरीब हो जाते हैं। इसीलिए इसे कभी भी खुराक में शामिल नहीं करने के लिए बताया (नैयर, 1948)।

महात्मा गांधी के अनुसार, तारी खजूरे के सरसे बनती है। इसके स्थान पर व्यक्ति खजूरी के शुद्ध रस को प्रयोग कर सकता है क्योंकि इसमें मादकता बिल्कुल नहीं होती है। उन्होंने इसे नीरा कहा है। उन्होंने नीरा को तुरंत निकालते ही पीने के लिए बताया (नैयर, 1948), नहीं तो जितनी विलंब होगी वह मादकता का रूप लेगा। तब वह व्यक्ति के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। समय पर नीरा लेने से दस्त होने लगता है अर्थात कब्जियत को दूर करने की यह दवा है। महात्मा गांधी स्वयं नीरा लेते थे, नीरा से उन्होंने किसी भी प्रकार की समस्या होते नहीं पाया। अगर नीरा को सुवह चाय के स्थान पर लिया जाए तो उसे दूसरा कुछ नाश्ता करने (गांधी, 1962), खाने या पीने का मन नहीं करता है।

महात्मा गांधी के अनुसार, नशीली पेय व ड्रग्स कुछ लोगों के लिए आय का स्रोत हो सकता है लेकिन इससे प्राप्त राजस्व को अनैतिक स्रोत ही मानना चाहिए और सरकारी स्तर पर भी इसे राजस्व प्राप्ति के लिए अनैतिक व्यवस्था का दुष्परिणाम ही मानना चाहिए (नारायण, 1968)। नारायण (1968) ने अपने पुस्तक में लिखा है कि 1921 ई. में गैर–सहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने वायसराल को यह बताते के लिए एंड्रयूज को भेजा था कि अगर सरकार गांवों में घर की कताई और बुनाई को बढावा देने में मदद करेंगे और शराब और अफीम को दबायेंगे (रोकेंगे) तो वह गैर–सहयोग आंदोलन को छोड़ देंगे। महात्मा गांधी के अनुसार,

गैर–सहयोग आंदोलन का उद्येश्य गैर–करों का भुगतान और नशीली शराब का उपयोग नहीं करना था। महात्मा गांधी ने प्रमुख महिलाओं के एक बड़े समूह बनाकर लॉर्ड इरविन को नशीले पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अपील की। इसमें कुछ अधिकारियों (विट्ठलभाई पटेल सहित कुछ प्रमुख पदस्थापित लोग) ने इस्तीफा भी दिया था (नारायण, 1968)। इस पर कर लगाने से सरकार को बड़ा राजस्व मिल सकता है। लेकिन, महात्मा गांधी का कहना है कि सरकार इससे प्राप्त राजस्व की चाह न करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाये।

महात्मा गांधी ने ग्रामीण रोजगार को बढावा देने के लिए खजूर के रस को गुड़ बनाने व इसे व्यवसाय करने के लिए बताया (नैयर, 1948)। प्रभु एवं राव (1966) ने बताया कि यदि किसान के पास ज्यादा भूमि उपलब्ध है तो वह उपयोगी धन उगाएगा न कि गांजा, तंबाकू, अफीम। फीस्चर (1951) ने अपने पुस्तक में बताया है कि महात्मा गांधी ने डच, मलाया, जावा व नेपाल के किसानों को देखा कि नीग्रो चाय और कॉफी की खेती के लिए अनिच्छुक थे। बाद में महात्मा गांधी ने गहन चिंतन के आधार पर भारतीय किसानों को इसकी खेती नहीं करने के लिए बताया। उन्होंने ग्रामोद्योग संघ बनाने के समय इस गुड़ को प्रयोग में लेने का प्रचार–प्रसार किया। उन्होंने तार के रस से भी गुड़ बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि भारत में कृषक व व्यवसायी वर्ग खजूर या तार के रस का उत्पादन, निर्माण, प्रयोग व व्यवसाय करने लगें तो देश में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी व गरीबों को भी सस्ते दामों पर गुड़ मिलेगा। नारायण (1968) के अनुसार, महात्मा गांधी ने कुछ सीमा में व विशेश परिस्थिति में मादक पदार्थों (नशा सामग्री) के यातायात करने के लिए बताया। वैसे उन्होंने इसे घृणित कार्य की श्रेणी में ही रखा। प्रभु एवं राव (1966), गांधी (1962), महात्मा गांधी का विजन (अतिथ्य) एवं हरिजन (1942) के अनुसार, किसान की पहली प्राथमिकता खाने के लिए खाद्य पदार्थ व कपड़े की आवश्यकता के लिए कपास उगाने की है। लेकिन, किसान कभी भी गांजा, तंबाकू, अफीम न उगायें। महात्मा गांधी द्वारा युवाओं व किशोर सहित आम भारतीयों के लिए संदेश था कि जब हमारे पास स्वदेशी खेल हैं तो नशीली ड्रिंक्स छोड़ देना चाहिए। साथ ही, उन्होंने पढे–लिखे (ज्ञानी) लोगों को भी अफीम, शराब या किसी भी नशीली पदार्थ को छूने नहीं बताया (प्रभु एवं राव, 1966)।

वे शराब के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में गुलामी में काम करने वाले लोगों को देखा जो कि वे लोग शराब अधिक पीते थे। वहॉ के दुकानों का नियम था कि जितना शराब पीना है वहीं पीयें। शराब को घर ले जाने की अनुमति नहीं थी। नियम की छूट होने पर महिलायें भी शराब पीती थीं। उन्होंने मजदूरों को शराब में बेर्बाद होते देखा था। वे लोग अपनी कमाई शराब में बेर्बाद कर देते थे और कमाने के बाद भी इनका जीवन निरर्थक व आर्थिक तंगहाली था। वे करूणामीय दीखते थे। महात्मा गांधी के सामने शराब की लत ने एक अंग्रेज को नौकरी छोड़वा दिया जो कि बड़े पद (इंजीनियर) पर था। वह व्यक्ति जब होश में रहता था तो अच्छा लगता था लेकिन जब शराब पी लेता था तो वह बिल्कुल ही दीवाना हो जाता था और कभी–कभी पाप (अपराध) भी इस समय कर लेता था। उन्होंने हिंदुस्तान में भी बहुत से अमीर लोगों व राजा–महाराजाओं को शराब से बेर्बाद होते देखा। ये लोग आर्थिक तंगहाली में चले गए। महात्मा गांधी का मानना था कि व्यक्ति चाहे भिखाड़ी हो या करोड़पति, नशीले ड्रग्स नहीं लेने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है (प्रभु एवं राव, 1966)। नशा की लत होने से व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच सकता है या कर्ज ले सकता है। अधिकांशतः व्यक्ति द्वारा नशे में ही अपराध करते हुए देखा जा सकता है। उन सबों की दशा को देखकर महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि वे शराब के सेवन का कभी समर्थन नहीं करेंगे (नैयर, 1948)। नारायण (1968) और प्रभु एवं राव (1966) ने अपने पुस्तकों में उल्लेख किया है कि शराब, अफीम व मादक पदार्थ को प्रयोग करने वाले अज्ञानी होते हैं। वे इसे अपने हाथ से छूने के लिए मना करते थे। वे कहे थे कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति इसे प्रयोग में लेता है।

महात्मा गांधी के अनुसार, व्यक्ति अपने पसीने की कमाई से जीवनयापन करे। यही ईमानदारी है। वे बुद्धि और शारीरिक श्रम में कोई अंतर नहीं करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अफीम, शराब या कोई अन्य नशीला पदार्थ को नहीं छुए (प्रभु एवं राव, 1966)। महात्मा गांधी के अनुसार, शराब व्यक्ति के मन, बुद्धि, शरीर और पैसे को बेर्बाद करता है। महात्मा गांधी के अनुसार, मादक पेय और नशीली दवा आत्मिक विकास में सहायक नहीं हैं।

महात्मा गांधी ने अफीम के शिकार व्यक्ति को कब्र में फंसे व्यक्ति व मुर्दे के समान तुलना किया है। नंदा (1995) ने अपने अध्ययन में अफीम को गलत बताया है व इसे जहर कहा है। उनके अनुसार, अफीम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है। इसके उपयोग से वह दीन हो जाता है व कोई भी पाप कर सकता है। अफीम का व्यसन क्षण भर के लिए भी सहन करने योग्य नहीं है। महात्मा गांधी ने चीन के कुछ ऐसे लोगों को देखा जो अफीम प्रयोग करते थे। वे सब मुर्दे (अर्थात दीन–हीन) के समान दिखते थे। ऐसे लोग अफीम पाने के लिए कुछ भी पाप कर सकते थे। महात्मा गांधी ने बताया कि ब्रिटिश काल में चीन व ब्रिटिशर के मध्य अफीम का क्रय–विक्रय चलता था। उस समय भारत के कुछ ठिकेदार भी अफीम का व्यवसाय करते थे। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने ऐसे भारतीयों के लिए अनीतिमय व्यवसाय बताया एवं इसे विक्रय नहीं करने कहा (नैयर, 1948)। प्रभु एवं राव (1966) ने उल्लेख

किया है कि महात्मा गांधी का मानना था कि अफीम का उत्पादन विश्व में वर्जित हो। उनके अनुसार, अफीम विश्व के मानव कल्याण के लिए बाधक है व सामान्य आम आदमी के दुःख के लिए जिम्मेदार है।

महात्मा गांधी का कथन था कि, मैं भारत का उत्थान चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया को लाभ हो, मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए जो दूसरे राष्टों की बेर्बादी करे। उनके अनुसार, भारत ऐसा हो जो दुनिया को कला और स्वास्थ्य देने वाले मसालों का खजाना भेजेगा। उन्होंने भारत को दुनिया में अफीम व नशीली शराब भेजने व यातायात के लिए इंकार किया (प्रभु एवं राव, 1966)। महात्मा गांधी का मानना था कि मादक पदार्थों का व्यापार अंतरराष्ट्रीय तस्कर को बढावा देगा जो कि अनैतिक व्यापार एवं वर्जित पदार्थों (मादक सहित) के यातायात को फलने–फूलने में सहायता करेगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय एवं स्थानीय (भारत में निर्मित) ड्रग्स व नशीले पदार्थ के प्रयोग व यातायत पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही।

उन्होंने चिकित्साशास्त्र एवं उपचार में अफीम का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। उन्होंने कहा कि अफीम का प्रयोग दवा के रूप में लें तो ठीक है नहीं तो वह व्यसन हो जाता है (नैयर, 1948)। उन्होंने व्यसन के रूप में इसे छोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति इसे छोड़ेगा नहीं तब तक उसका उद्धार नहीं होगा।

महात्मा गांधी ने कहा है कि तंबाकू के चंगुल में बहुत लोग फंसे हैं। तंबाकू ने मानव जाति के बीच कहर ढाया है। एक बार इसकी गिरफ्त में आने से बाहर निकालना दुर्लभ है (प्रभु एवं राव, 1966)। महात्मा गॉधी के अनुसार, जर्दा व पान भी तंबाकू ही है। तंबाकू के चंगुल से निकलना भाग्य से ही छूटने जैसा है। उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट अपनी कुल आय (25 पौंड) में से 5 पौंड तंबाकू में ही खर्च करता है। महात्मा गांधी के अनुसार, इसके सेवन करने वाले व्यक्ति अपनी आय का अधिकतम भाग धुंए में खर्च करते हैं। तंबाकू के प्रयोग करने वाले की विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। भारत में लोग तंबाकू का सेवन धूम्रपान, सूंघने और चबाने के लिए करते हैं। वैसे यह बुराई ही है और यह बीमारी एक दिन गुलामी व आदी बना देते हैं (प्रभु एवं राव, 1966)। महात्मा गांधी के अनुसार, धुम्रपान हवा में उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। इसी प्रकार, मुंह में तंबाकू रखना या स्नफबॉक्स में खोलकर स्नफ लेना, ये सभी गंदी आदतें हैं (प्रभु एवं राव, 1966)। ऐसे लोग बिना किसी संकोच के कहीं भी धुंआ छोड़ सकते हैं, पी सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खाकर थूक सकते हैं, आदि। इनके मुख से दुर्गंध निकलते हैं। इस समय यह इनके सोच का विषय नहीं रहता। साथ ही, ऐसे व्यसनी लोग इस समय दूसरों की भावना को कद्र नहीं कर पाते। वे इस समय स्वयं के व दूसरों के कपड़े बेर्बाद करते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि मुख से दुर्गंध आने पर इनके पास कोई व्यक्ति बैठना नहीं चाहते व कुछ लोग इनसे दूरी बनाकर बैठते हैं। इनके संबंध भी सीमित लोगों से रहते हैं क्योंकि इनके मुख से दुर्गंध निकलने पर लोग इनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। महात्मा गॉधी के अनुसार, तंबाकू खाकर थूकने वाले व्यक्ति कहीं भी थूक सकते हैं (नैयर, 1948), चाहे वह उनके घर का कोना हो या दीवार, उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। व्यक्ति तंबाकू व अन्य खाद्य नशा (चबाकर फेंकने वाला) के प्रयोग के समय साफ–सफाई भूला देते हैं व स्वच्छ वातावरण में भी गंदगी फैला सकते हैं। गंदगी फैलाने में व्यक्ति इस समय अपनी चिंता व दुःख भूल सकता है। ऐसे लोग दीवार के प्राकृतिक आकर्षकता व रंग–रोगन को छिनते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति की विवेक व बुद्धि इस समय मर जाता है।

महात्मा गांधी के शब्दों में, ड्रग्स व नशीले पेय (मादक) के अभिशाप को हमारे देश से बचाने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि भारत में नशीले पेय और ड्रग्स संबंधी अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए (नंदा, 1995)। व्यक्ति को इसके प्रयोग से शारीरिक व मानसिक बीमारियॉ इस कारण जन्म लेती हैं। महात्मा गांधी ने बताया है कि व्यक्ति के मन को स्थिर रखने के लिए व्यक्ति को नशे से दूर रखना पड़ेगा। इससे व्यक्ति का मन भी स्थिर रहेगा।

महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए नशीले भोजन का प्रयोग घातक है (नारायण, 1968)। वे कहे हैं कि शराब, भॉग, गॉजा, तंबाकू, अफीम, ताड़ी, एरक आदि हमारे देश में पैदा होती है व कई मादक विदेश से आते हैं। ये सभी त्याज्य करना चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए नशीले व पेय पदार्थ नहीं लेने की शर्त रखी (प्रभु एवं राव, 1966) व उस समय सभी लोगों ने इस में भाग लेने के लिए नशीले व पेय पदार्थ नहीं लेने के सर्वसम्मति से सभी स्वीकार भी किए।

महात्मा गांधी ने अफीम, शराब (नंदा, 1995), भॉग, गॉजा, तंबाकू, ताड़ी, एरक आदि मादक पदार्थ को परित्याग करने के लिए बताया। उन्होंने इसे छूने के लिए भी नहीं कहा है (नंदा, 1995)। उन्होंने नशीले पेय व ड्रग्स को किसी भी परिस्थिति में जगह नहीं देने के लिए कहा है (प्रभु एवं राव, 1966)।

निष्कर्ष (Conclusion)

महात्मा गॉधी के विचार लोगों के जीवन में व्यवहार में लाकर दिखाने पर जोर देता है। उनके सिद्धांत मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं। उन्होंने बताया है कि नशा (मादक) सेवन से स्वयं का, परिवार का, समाज का व संपूर्ण राष्ट्र का नुकसान होता है। नशा रोजगार एवं आय के स्रोत को भी छीनता है। यह अंतरवैयक्तिक संबंध ह्रास (नुकसान) एवं व्यक्तिगत दूरी एवं अपराध दर बढाने में सहायक है। मादक पदार्थ व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक क्षति व गंदगी (अस्वच्छता) को जन्म देता है। उन्होंने

कृषक को इसकी खेती नहीं करने व व्यवसायी को इसका व्यवसाय नहीं करने के लिए कहा। महात्मा गांधी के लेखन व कथन के 75 वर्ष बाद भी आज के समय में सत्य साबित होते हैं। उनके विचार आज भी प्रायोगिक विचार पर खड़े उतरता है जो आज भी चरितार्थ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची ;त्मतिमदबमेद्ध

गांधी, एम. के. (1962). *विलेज स्वराज.* अहमदाबादः नवजीवन पब्लिशिंग हाउस (पृष्ठ संख्या– 44, 81, 126, 163, 190)।

गांधी, महात्मा (1955). *द स्टोरी ऑफ माई लाइफ.* अहमदाबाद : नवजीवन पब्लिशिंग हाउस (पृष्ठ संख्या– 27, 64, 65, 95)।

नारायण, श्रीमन (1968). *सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ महात्मा गांधी* (वाल्यूम –4), अहमदाबादः जितेन्द्र टी देसाई नवजीवन पब्लिशिंग हाउस (पृष्ठ संख्या– 87, 120, 217, 228, 233, 264, 277, 278, 292, 306, 314, 318, 324, 354, 368, 418, 419, 420, 476)।

नैयर, सुशीला (1948). *आरोग्य की कुंजी* (अनुवादित पुस्तक). अहमदाबाद : जितेन्द्र ठाकोरभाई देसाई (प्रकाशक) (पृष्ठ संख्या– 14–21)।

नंदा, बी. आर. (1995). *महात्मा गांधीः 125 वर्ष 'रिमेमबरिंग गांधी, अंदरस्टैंडिंग गांधी, रिलेवेंस ऑफ गांधी* (एडिटेड बुक). नई दिल्ली : इंडियन कोंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च (पृष्ठ संख्या– 36, 60, 99, 100, 210, 280, 288, 289)।

प्रभु आर. के. एवं राव, यू. आर. (1966). *द माइंड ऑफ महात्मा गांधी.* अहमदाबाद : नवजीवन मुद्रणालय (पृष्ठ संख्या– 392, 419, 430, 449, 465, 467, 468, 559, 561, 575, 607)।

फीस्चर, लुइस (1951). *महात्मा गांधी : हिज लाइफ एंड टाइम्स.* मुम्बई : भारतीय विद्या भवन (पृष्ठ संख्या– 54, 96)।

महात्मा गांधी का विजन (अतिथ्य). *विजन ऑफ ए मॉडल विलेज* (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) (पृष्ठ संख्या– 1–2)

हरिजन (1942). दिनांक 26.7.1942 का प्रकाशन, वाल्यूम–76, पृष्ठ सं.–308–309।

http://support.saanjhi.insupport/solutions/articles/6000003502-1-mahatma-gandhi-s-vision-of-a-model-village